

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन पैकेज (TE08)के निर्माण कार्य में 0.8072 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है । इस प्रस्ताव में संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है ।


(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
किरोजबाव
१३/११